दिनांक 11 फरवरी 2016 को दोपहर 12.00 बजे आर्मज़डेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हिमाचल प्रदेश विकलांगजन कल्याण बोर्ड की चौथी बैठक की कार्यवाही

बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी/सरकारी सदस्यों की सूची अनुबन्ध''क व ख'' पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्याय एवं अधिकारिता) हि0प्र0 ने बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, उपाध्यक्ष माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री तथा बोर्ड के गैर सरकारी तथा सरकारी सदस्यों का बैठक में पधारने पर स्वागत किया। उन्होनें सूचित किया कि विकलांजनों की समस्याओं एंव उन से जुड़ें मुद्दों को सरकार स्तर पर उठाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अलग से इस बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में किया गया है तथा गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि इस राज्य स्तरीय बोर्ड में व्यक्तिगत मुद्दों को न उठा कर सार्थक एंव वर्ग विशेष के सामुहिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों को ही उठाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने अपने स्वागत् भाषण में सरकार द्वारा विकलांगजन के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इन योजनाओं तथा सुविधाओं की जानकारी समस्त पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाए।

इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा की गई :–

6 मई 2015 को हुई तीसरी बैठक की अनुवर्ती मदें

हि0 प्र0 बिजली बोर्ड, शहरी विकास, शिक्षा, उद्योग, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण व हि0 प्र0 विश्व विद्यालय से सम्बन्धित मदें :

मद संख्या 1:– सरकार द्वारा प्राईवेट कम्पनियों में भी विकलांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। (श्री भीम सिंह)

मद संख्या 2:– विकलांगजनों हेतु तीन प्रतिशत आरक्षण सरकारी व प्राईवेट स्तर पर लागू हों। (श्री तकदीर सिंह)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान कार्मिक विभाग ने सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने बारे प्रायः केन्द्र सरकार में प्रचलित नीति/ निर्देशों का अनुसरण किया

जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार ने सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को श्रेणी–I से IV में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर रखा है । प्राईवेट कम्पनियों में विकलांगों को आरक्षण प्रदान करने बारे केन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय उपरान्त ही राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही संभव होगी ।

गत बैठक में इन मदों पर चर्चा में भाग लेते हुए अति0 मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) ने सूचित किया था कि वर्ष 2007 के उपरान्त विकलांग श्रेणी के 1683 पद भरे जा चुके हैं तथा कुछ विभागों मुख्यतः हि0 प्र0 बिजली बोर्ड, शहरी विकास, शिक्षा, उद्योग, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण तथा हि0 प्र0 विश्व विद्यालय में विकलांगों हेतु बैकलॉग के पद भरे जाने शेष हैं । **गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने इन विभागों को विकलांगों हेतु आरक्षित बैकलॉग पदों को तुरन्त भरने के निर्देश दिए थे।**

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारित) हि0 प्र0 सरकार –एंव– सदस्य सचिव ने सूचित किया कि विकलांगों हेतु आरक्षित बैकलॉग के पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर समस्त विभागों से मामला उठाया जाता है तथा वर्ष 2007 के उपरान्त अभी तक विकलांगों की विभिन्न श्रेणियों से 1695 पद भरे जा चुके है । **अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सन्दर्भ में कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया जिस के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।**

(हि0 प्र0 बिजली बोर्ड, शहरी विकास, शिक्षा, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण व हि0 प्र0 विश्व विद्यालय)

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या 8:– जिला कांगडा में विकलांगजनों हेतु मैडिकल बोर्ड धर्मशाला क्षेत्रीय चिकित्सालय में हर शनिवार को होता है। नूरपूर, जयसिंहपुर, पालमपुर व देहरा में भी कैम्प लगाए जाए ताकि दूरदराज में धर्मशाला के बजाए नजदीक ही सुविधा उपलब्ध हो सके।

(श्री तकदीर सिंह, धर्मशाला)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान विशेष सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया कि जिला स्तर के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर भी विकलांगों हेतु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है तथा चालू वर्ष में नूरपुर, जयसिंहपुर, पालमपुर व देहरा के साथ–साथ जहां भी आवश्यकता होगी वहां इन विशेष कैम्पों का आयोजन किया जाएगा । बैठक में चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि **जिला स्तर के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर भी विशेष चिकित्सा कैम्पों का आयोजन किया जाए ताकि विकलांगजनों को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने में कोई भी कठिनाई न हो । न्होंनें द्वारा यह भी निर्देश दिए थे कि जिन स्थानों पर विकलांगों हेतु बाधा रहित सुविधा नही है वहां धरातल मंजिल में चिकित्सा कैम्पों का आयोजन किया जाए तथा इन कैम्पों का प्रचार/प्रसार समाचार पत्रों व रेडियो के माध्यम से किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होनें यह भी निर्देश दिए कि विकलांगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो इस लिए उन की अलग से लाईन लगाने की व्यवस्था की जाए तथा ऐसे व्यक्ति जो विकलांगों से सहानुभूति रखतें हो उन्हें ही इन कैम्पों में नामांकित किया जाए ।**

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) ने सूचित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जिला कांगड़ा में चिकित्सा कैम्पों के आयोजन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धर्मशाला को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके है तथा उप मण्डल स्तर के अस्पतालों में चिकित्सा बोर्ड गठित किए गये है ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या 15:– पंचायतों में विकलांगों को चुनाव में आरक्षण होना चाहिए ।

(श्री तकदीर सिंह, धर्मशाला /(मुहम्मद इकबाल, पावटा साहिब)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग ने सूचित किया था कि हिमाचल प्रदेश पंचायती अधिनियम 1994 व उसके अन्तर्गत सृजित नियमों में विकलांग व्यक्तियों को पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होने के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। गत मद पर चर्चा के दौरान श्री तकदीर सिंह गैर सरकारी सदस्य ने मामला उठाया था कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति/महिलाओं को पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है । चर्चा में भाग लेते हुए प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया कि विभिन्न श्रेणियों हेतु जो आरक्षण दिया गया है वह उन की जनसंख्या प्रतिशतता व पंचायतीराज एक्ट में किए गये प्रावधान के आधार पर प्रदान किया किया जा रहा है । गत बैठक में **मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा मामला परीक्षण कर विभाग नस्ति पर उन के विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।**

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अधिकतर गैर सरकारी सदस्यों का मत था कि विकलांगों को स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती अधिनियम 1994 व उसके अन्तर्गत सृजित नियमों में अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़ा वर्गो को चुनाव में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जबकि विकलांग व्यक्तियों को निर्वाचित होने के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया कि निर्वाचन में आरक्षण प्रदान करना एक संवैधानिक प्रश्न है तथा इस सन्दर्भ में निर्णय राज्य स्तर पर नही हो सकता । **मद पर विभागीय उत्तर से अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति प्रकट की तथा जिस के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।**

(पंचायती राज विभाग)

परिवहन विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या 19:– विकलांगों को यात्रा की सुविधा के लिए निःशुल्क बस पास हिमाचल प्रदेश के बाहर भी परिवहन निगम की बसों में मान्य हो व निजी बसों में भी मान्य हो ।

(श्री मुहम्मद इकबाल, पावंटा सहिब)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग ने सूचित किया था कि वर्तमान में विकलांगों के लिए जो सरकारी सेवा में कार्यरत नही है और जिन की विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो को पथ परिवहन निगम की बसों में राज्य के भीतर व दृष्टिहीनों को राज्य से बाहर परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। श्री मुहम्मद इकबाल, गैर सरकारी सदस्य ने मामला उठाया था कि बार्डर एरिया में रहने वाले लोगों को अक्सर प्रदेश से

बाहर जाना पड़ता है तथा निःशुल्क सुविधा न मिलने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों का यह भी मत था कि विकलांगजनों को अपने ईलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है इस कारण प्रदेश से बाहर भी यह सुविधा होनी चाहिए। इस के साथ–साथ उन का यह भी मत था कि विकलांगों हेतु जो सीटें आरक्षित की गई हैं वह उन्हें प्राप्त नहीं होती हैं तथा कण्डक्टर द्वारा उन के साथ अकसर दुव्यवहार किया जाता है।

गत बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए थे कि यदि किसी विकलांग को ईलाज के लिए स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ व अखिल भारतीय आयुवैदिक संस्थान, नई दिल्ली रैफर किया जाता है तो उन्हें परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। इस के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए कि परिवहन निगम विकलांगों हेतु सीटों को आरक्षित करने तथा चालक व परिचालकों को विकलांगों के साथ उचित व्यवहार हेतु आवश्यक दिशा– निर्देश जारी करेगा।

बैठक मे इस मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदेश के भीतर 78329 विकलांग व्यक्तियों को साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है । दृष्टिहीनों को राज्य से बाहर जहां तक परिवहन निगम की बसें चल रही है बहां तक निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु राज्य के बाहर पी0जी0आई0, चण्डीगढ व ए0आई0एस0एस0, दिल्ली तक भी निःशुल्क यात्रा पास प्रदान करने का प्रावधान कर दिया गया है ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।

(हिमाचल पथ परिवहन निगम)

परिवहन विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या 20 :– विकलांगों को बसों, टैक्सी व टैम्पों के परमिटों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाए ।

(श्री मुहम्मद इकबाल, पावंटा साहिब)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग ने सूचित किया था कि विकलांगों को टैक्सी व टैम्पों के परमिट के लिए जो भी आवेदन करता है उसे यह परमिट जारी कर दिया जाता है । **इस के अतिरिक्त बसों के परमिटों में विकलांगों को अभी तक किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है परन्तु भविष्य में विकलांगों को परमिट में प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा। चर्चा उपरान्त सम्बन्धित विभाग को मामले में शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए।**

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि विभाग द्वारा बसों, टैक्सी व टैम्पों के परमिट परिवहन नीति 2014 अनुसार आवंटित किए जाते है जिसके अंर्तगत इन परमिटों के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है तथा इस नीति में विकलांगों को प्राथमिकता देने का कोई भी प्रावधान नही है । बैठक में अधिकतर गैर सरकारी सदस्यों का मत था कि विकलांग व्यक्तियों को अकसर परिवहन निगम की बसों में आरक्षित सीटे उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा सूचित किया कि लोकल रूट पर चलने वाली परिवहन निगम की बसों में 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है जिस में विकलागों की सीटें भी शामिल है इस के अतिरिक्त लम्बी दूरी की बसों में 2 सीटें बिकलांगों को आरक्षित की गई है । **चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा परिवहन निगम को**

विकलागों हेतु आरक्षित की गई सीटों बारे पुनः अपने क्षेत्रिय कार्योलय को दिशानिर्देश जारी करने की निर्देश दिए । चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई ।

(हिमाचल पथ परिवहन निगम/परिवहन विभाग)

हिमाचल प्रदेश विकलांगजन कल्याण बोर्ड की चौथी बैठक हेतु प्राप्त नई मदें

सिचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–1 गांव रावा, डाक0 करेरी, तहसील धर्मशाला से पानी की 8–8 इंच की दो पाईपें ले गये है जिस पर गांव के लोग मुसीबत में आ गये हैं जैसे पानी की कमी, पशु चरगाह को नुकसान इत्यादि इस सन्दर्भ मे गांव वालों को नहीं पूछा गया ।

(श्री भीम सिहं, धर्मशाला)

मद पर चर्चा के दौरान अति0 मुख्य सचिव सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि गांव रावा के जिस स्रोत से यह पानी लिया गया है वहां काफी मात्रा में पानी उपलब्ध है तथा जब योजना बनाई गई थी यह सभी सम्बन्धित विभागों व लोगों की सहमति से उन के अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर बनाई गई थी। चर्चा में भाग लेते हुए श्री भीम सिंह ने सूचित किया कि इस सन्दर्भ में ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। चर्चा के उपरान्त अति0 मुख्य सचिव सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया कि वे इस सन्दर्भ में तहकीकात करेगें तथा उन्होंने चाहा कि यदि इस सन्दर्भ में कोई विशेष समस्या है तो उसे विभाग को बताए उस का समाधान कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।

(सिचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग)

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–2 चड़ी से धेरा सड़क वर्ष 1992 से बनी है जो कि आज दिन तक कच्ची है ये अकेली सड़क पांच पंचायतों को जोड़ती है व प्रतिवर्ष बरसात में बस बन्द हो जाती है। इस सड़क को शीघ्र पक्का किया जाये ।

(श्री भीम सिहं, धर्मशाला)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) द्वारा सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार चड़ी से धेरा सड़क का निर्माण 80 के दशक में गांव धेरा में गज प्रोजेक्ट निर्माण के उद्देश्य से प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा करवाया गया था । सन् 2009–10 में इस सड़क को लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई । सड़क लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थानांतरित होने के उपरान्त विभाग द्वारा इसकी 414.74 लाख रू0 की डी0पी0आर0 नार्बाड से मंजूर करवा कर कार्य आरम्भ कर दिया गया

है । इस सड़क की कुल लम्बाई 8.555 कि0मी0 है जिसमें से 7.00 कि0 मी0 तक सड़क पक्की कर दी गई है तथा शेष बचे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।

(लोक निर्माण विभाग)

मद संख्या :–3 प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के घर तक सड़क का निर्माण होना चाहिए ताकि वे आसानी से आ–जा सकें । (सुनील कुमार सुपुत्र श्री तुलसी राम गांव व डा0 कोठी उप–तहसील चढियार जिला कांगड़ा हि0प्र0 इस सुविधा से वंचित है ।)

(श्री कुलदीप राणा, बैजनाथ)

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नही है कि प्रत्येक विकलांगजन के घर तक सड़क का निर्माण होना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया कि सरकार का लक्ष्य सभी बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ना है ताकि सभी व्यक्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा सके किसी एक व्यक्ति के घर तक सड़क बनाना व्यवहारिक नहीं है ।

चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई ।

(लोक निर्माण विभाग)

हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद्/हिमऊर्जा से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–4 पंचायत करेरी में चार बिजली प्रौजेक्ट बन रहे है जिससे गांव रावा को भविष्य में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है । जंगलों को काफी नुकसान हुआ है तथा गांव के लोगों को कोई रोजगार नही दिया गया है । इसमें गांव की मुख्य मांग बिजली 24 घण्टे निःशुल्क दी जाये व स्थाई नौकरी पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाये ।

(श्री भीम सिहं, धर्मशाला)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) द्वारा सूचित किया कि हिमऊर्जा से प्राप्त सूचना अनुसार इस क्षेत्र में चार बिजली परियोजनाएं नामतः गजेऊ गुनादेवी (2 मैगावाट), गरजू (1.25 मैगावाट), गज स्टेज–III (3.6 मैगावाट) और गज टॉप (3.80 मैगावाट) आवंटित की गई हैं । इन लघु जल विद्युत परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं गज स्टेज–III (3.6 मैगावाट) और गज टॉप (3.80 मैगावाट) का निर्माण कार्य चल रहा है । जहां तक गांव रावा को भविष्य में होने वाले नुकसान का प्रश्न है तो सम्बन्धित कम्पनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी । जल विद्युत परियोजनाओं में रोजगार उपलब्ध करवाने बारे सरकार की ऊर्जा नीति के अनुसार हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदान करना होता है । केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है तथापि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कुल ऊर्जा उत्पादन का 1 प्रतिशत प्रभावित परिवारों को दिया जाता है ।

विस्तृत विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।

(हिमऊर्जा/हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड)

मद संख्या :–5 करेरी पंचायत के लिए 130 स्ट्रीट लाईट उपलब्ध करवाई जाये ।
(श्री भीम सिहं, धर्मशाला)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) द्वारा सूचित किया कि हिमऊर्जा से प्राप्त सूचना अनुसार हिमऊर्जा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईटें उपलब्ध करवाई जाती हैं जिसके लिए अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत सीमित मात्रा में जिलावार बजट उपलब्ध होता हैं जिसे सरकार के आदेशानुसार सम्बन्धित जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विधायक की सहमति से ही बराबर मात्रा में सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना पर व्यय किया जाता है । अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा लाईटें अनुसूचित जाति की आबादी के लिए उन्हीं गांवों में स्थापित की जाती हैं जहां अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी 40 प्रतिशत या इस से अधिक अथवा कम से कम 90 व्यक्ति अनुसूचित जाति से हों । अन्य किसी भी वर्ग की आबादी के लिए निःशुल्क सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने हेतु धन का कोई भी प्रावधान नहीं है । हिमऊर्जा द्वारा पूर्ण मूल्य पर भी सोलर स्ट्रीट लाईटें उपलब्ध करवाई जाती हैं । वर्तमान में दो प्रकार की सोलर स्ट्रीट लाईटें उपलब्ध हैं जिसमें (1) सी0एफ0एल0 टाईप का मूल्य 18,365/–रू0 तथा एल0ई0डी0 टाईप की लाईटों का मूल्य 15,530/–रू0 प्रत्येक है । इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड ने सूचित किया है कि यदि स्थानीय पंचायत/संस्था अगर स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु आवेदन करती है तो उस कार्य का प्राकलन तैयार करके स्थानीय पंचायत/ संस्था को दिया जाता है। अगर स्थानीय पंचायत/संस्था प्राकलन के अनुसार राशि विद्युत विभाग के पास जमा करवाती है तो उस कार्य को किया जा सकता हैं। इसके अलावा स्थानीय पंचायत को मासिक विद्युत खपत बिल जमा करवाने के लिए भी विद्युत विभाग से ऐग्रीमैन्ट करना होगा । **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(हिमऊर्जा/हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड)

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–6 करेरी पंचायत में 10 बैड अस्पताल प्रदान किया जाये ।
(श्री भीम सिहं, धर्मशाला)

मद पर चर्चा के दौरान अति0 मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया कि करेरी बही जो कि करेरी से 8.00 कि0मी0 दूर है मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है उन्होंने यह भी सूचित किया कि करेरी जो कि दूर–दराज इलाका है में अस्पताल खोलने बारे विभाग परीक्षण कर रहा है। **मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को शीघ्र सर्वेक्षण कर करेरी में अस्पताल खोलने बारे मामलें का परीक्षण करने के आदेश दिए।**

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण)

मद संख्या :–7 विकलांगों के लिए मेडिकल बोर्ड की सुविधा तहसील स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा चिकित्सकों का व्यवहार भी उनके साथ सौर्हादपूर्ण होना चाहिए ।
(श्री कुलदीप राणा, बैजनाथ)

मद पर चर्चा के दौरान अति0 मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया कि विकलांगों को पहचान पत्र जारी करने हेतु उपमण्डल स्तर पर चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया है तथा विकलांगता पहचान जारी करने हेतु नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। सम्बन्धित विभाग द्वारा यह स्वीकार किया कि कैम्पों के आयोजन में कमी रह सकती है तथा उन्होनें चाहा कि यदि किसी को कैम्पों के सम्बन्ध में कोई कठिनाई अथवा शिकायत हो तो वह सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा यह भी सूचित किया कि आवश्यकता अनुसार तहसील स्तर पर चिकित्सा कैम्पों का आयोजन किया जा सकता है । **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण)

मद संख्या :–8 विकलांग व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहे इसके लिए हर माह तहसील स्तर पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकलांगों का उपचार किये जाने का प्रावधान होना चाहिए ।

(श्री कुलदीप राणा, बैजनाथ)

मद पर चर्चा के दौरान अति0 मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग ने स्वीकार किया कि वर्तमान में प्रदेश में मनोचिकित्सकों की बहुत कमी है। हाल में ही सरकार द्वार 12 नए Clinical Psychologists के पदों को भरने का निर्णय लिया है। जब भी किसी तहसील में चिकित्सा कैम्पों का आयोजन होता है तो आवश्यकता अनुसार इन चिकित्सकों की सेवाएं ली जा सकती है । । **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण)

प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–9 गांव रावा में प्राथमिक पाठशाला को अप–ग्रेड करके माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया जाये।

(श्री भीम सिहं, धर्मशाला)

मद पर चर्चा के दौरान अति0 मुख्य सचिव, शिक्षा ने सूचित किया कि वर्तमान में प्राथमिक पाठशाला रावा में पांचवी कक्षा में मात्र 8 बच्चें है तथा अभी पांचवीं कक्षा के बाद ये बच्चें निकट के माध्यमिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते है । वर्तमान में बच्चों की संख्या कम होने के कारण यह पाठशाला स्तरोन्त हेतु निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करती है जिस कारण इसे स्तरोन्त करना सम्भव नहीं है। **अध्यक्ष महोदय द्वारा इस से सहमति प्रकट की तथा चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(प्रारम्भिक शिक्षा)

मद संख्या :–10 विकलांग बच्चों के लिए अलग से ब्लॉक स्तर पर स्कूलों तथा प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रबन्ध होना चाहिए ।

(श्री कुलदीप राणा, बैजनाथ)

मद पर चर्चा के दौरान अति0 मुख्य सचिव, शिक्षा ने सूचित किया कि वर्तमान में प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा तक 12772 तथा नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक 2683 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है । इन

बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 126 विशेष अध्यापक ब्लॉक स्तर पर 18 विशेष अध्यापक जिला अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सम्बन्धित विभाग द्वारा यह भी सूचित किया कि इन विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त गम्भीर विकलांगता वाले बच्चों को होम बेस्ट एजुकेशन के तहत घर पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। विभागीय उत्तर से अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति प्रकट की **गई जिस के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(उच्च शिक्षा)

मद संख्या :–11 राजकीय महाविद्यालय, धुमारवीं स्थित कलरी में जो भूमि जनता से खरीदी गई है उसमे ग्राम पंचायत सेऊ द्वारा रास्ता निर्मित किया गया । उस रक्बे को शिक्षा विभाग ने ले लिया है जिस कारण जनता तथा बच्चों को राजकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशाला कलरी में जाने के लिए जो मात्र 200 मीटर रास्ता था अब उसके बन्द हो जाने से 2 कि0मी0 की दूरी से जाना पडेगा । अतः निवेदन है कि यह रास्ता यथावत बच्चों व जनता के लिए रखा जाए ।

(श्री शंकर सिंह, धुमारवी)

मद पर चर्चा के दौरान अति0 मुख्य सचिव, शिक्षा ने सूचित किया कि यह भूमि विभाग द्वारा लगभग 7.00 करोड़ रू0 की राशि प्रदान कर ग्रहण की है। मामले की छानबीन की गई तथा पाया गया कि यहा साथ ही कन्याओं हेतु छात्रावास है यहां से रास्ता प्रदान करना छात्राओं की सुरक्षा शैक्षणिक वातारवण के दृष्टिगत व्यवहारिक नही है। चर्चा में भाग लेने हुए श्री शंकर सिंह, गैर सरकारी सदस्य ने चाहा कि यदि राजकीय महाविद्यालय परिसर के boundary wall के साथ–साथ 2–3 फूट का रास्ता उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है तो बहुत से लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी। **चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर अपनी सहमति प्रकट की तथा उपायुक्त बिलासपुर को मामले का परीक्षण कर उसके उचित समाधान के आदेश दिए ।**

(शिक्षा विभाग/उपायुक्त बिलासपुर)

मद संख्या :–12 राजकीय माध्यमिक पाठशाला कलरी की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी । अतः आप से प्रार्थना है कि इस पाठशाला का दर्जा उच्च पाठशाला तक किया जाए । यहां के गरीब वर्ग, अपंग व अनुसूचितजाति के बच्चों को उच्च पाठशाला के लिए 2–3 कि0मी0 की दूरी पर जाना पड रहा है ।

(श्री शंकर सिंह, धुमारवी)

मद पर चर्चा के दौरान अति0 मुख्य सचिव, शिक्षा ने सूचित किया कि मामले का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि वर्तमान में राजकीय माध्यमिक पाठशाला, कलरी मे मात्र 8 बच्चें है तथा मात्र 2.5 कि0 मी0 की दूरी पर ही एक उच्च पाठशाला है। जिस कारण यह पाठशाला स्तरोन्नत करने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्डों को पूरा नही करता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस से सहमति प्रकट की **जिस के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा)

हिमाचल पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–13 विकलांगजनों को वर्ष में एक बार हरिद्वार जाने हेतु पास सुविधा प्रदान की जाए ।

(श्री शंकर सिंह, धुमारवी)

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदेश के भीतर विकलांग व्यक्तियों को परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है । इस के अतिरिक्त दृष्टिहीन व्यक्तियों को एक परिचर सहित राज्य एंव राज्य के बाहर जहां तक परिवहन निगम की बसें चल रही है, वहां तक निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है ।

विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु राज्य के बाहर पी0जी0 आई0 चण्डीगढ़ और अखिल भारतीय आयुवैदिक संस्थान, नई दिल्ली तक भी निःशुल्क यात्रा पास प्रदान करने का प्रावधान है । यदि विकलांगजनों को वर्ष में एक बार हरिद्वार जाने हेतु पास सुविधा प्रदान की जाती है तो निगम को लगभग 3.81 करोड का अतिरिक्त भार पड़ेगा । इनके अतिरिक्त उन्होनें यह भी सूचित किया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बी0ओ0डी0 में यह निर्णय लिया है कि जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त अधिभार की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति नहीं की जाती तब तक निगम किसी भी श्रेणी को अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान नही करेगा । **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।**

(हि0 पथ परिवहन निगम)

मद संख्या :–14 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायक के साथ निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तथा वोल्बों बसों के अतिरिक्त सभी बसों में निःशुल्क पास मान्य हो ।
(श्री एच0आर0 रतन, कांगड़ा)

इस मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 78329 विकलांग व्यक्तियों को निगम की साधारण बसों में पुरे प्रदेश में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है । 11217 दृष्टिहीनों को राज्य से बाहर जहां तक परिवहन निगम की बसें चल रही है एक परिचर सहित निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। विभाग द्वारा यह भी सूचित किया कि विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु राज्य के बाहर पी0जी0आई0, चण्डीगढ व ए0आई0एस0एस0, दिल्ली तक भी निःशुल्क यात्रा पास प्रदान करने का प्रावधान है। गैर सरकारी सदस्यों का मत था कि अकसर परिचालकों द्वारा विकलांगजनों के साथ बसों में दुर्वव्यवहार किया जाता है जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) द्वारा आवश्वास दिया कि यदि कोई ऐसा मामला आता है उस के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।**

(हि0 पथ परिवहन निगम)

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–15 श्री मोहिन्द्र सिंह, पुत्र श्री ध्यान सिंह, गांव लाहडु (कायला) डाक0 भरनोटा, तहसील सिंहुन्ता, जिला चम्बा 60 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग है तथा उनके पिता श्री ध्यान सिंह लगभग 3 वर्ष से अधरंग से पीडित हैं । पोहलो पुत्र वीर सिंह खसरा न0 212,213 कित्ता–2 रक्वा 1–17 बीघा पर जबरन कब्जा करने के बाद कब्जा वापिस नहीं दे रहा हैं । उक्त व्यक्ति ने जमीन पर नल तथा पक्का रास्ता तथा अन्य सामग्री रख कर कब्जा कर रखा है तथा कब्जा मांगने पर डराता धमकाता है जबकि माल रिकार्ड में उपरोक्त न0 श्री महेन्द्र सिंह के नाम पर दर्ज हैं । अतः कब्जा वापिस दिलवाया जाये ।
(श्री चमन सिंह चम्बा)

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा द्वारा सूचित किया कि उपमण्डलाधिकरी, चवाड़ी द्वारा मौका किया गया तथा इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। वर्तमान में इस रास्ते का प्रयोग सभी लोगों द्वारा किया जा रहा है। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई ।**

(राजस्व विभाग्)

हि0प्र0 अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–16 विकलांगों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यो के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उसे आसान तरीकों से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(श्री कुलदीप राणा, बैजनाथ/श्री शंकर सिंह, धुमारवी)

मद पर चर्चा के दौरान सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया कि हि0प्र0 अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम द्वारा विकलांगों को स्वयः रोजगार की स्थापना करने हेतु आसान तरीकों से ऋण सुविधा उपलब्द्ध करवाई जा रही है । निगम द्वारा ऋण प्रक्रिया को सरल करने हेतुः–

(1) ऋण के एवज में दी दी जाने वाली थर्ड पार्टी गारन्टी में छूट दे दी गई है

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है

(3) आय सीमा में पूर्णतया छूट दी गई है ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई ।

(हि0प्र0 अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम)

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें

मद संख्या :–17 जो विकलांग 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले है उन व्यक्तियों का गुजारा सरकार द्वारा उपलब्ध पैंशन से होना मुश्किल है । अतः इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(श्री कुलदीप राणा, बैजनाथ)

मद पर चर्चा के दौरान निदेशक अनुसूचितजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले ने सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश में 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैन्शन प्रदान की जा रही है । 1–4–2014 से ऐसे विकलांग व्यक्तियों को पैन्शन की राशि 550/–रू0 प्रतिमाह से बढ़ा कर 750/–रू0 प्रतिमाह कर दी गई थी तथा 1–4–2015 से इस राशि को 750/–रू0 प्रति माह से बढ़ा कर 1100/–रू0 प्रतिमाह कर दिया गया है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(निदेशालय अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले)

मद संख्याः–18 सरकार से प्रार्थना है कि विकलांगों, वृद्वों व विधवाओं को कम से कम 1500 रू0 सामाजिक सरुक्षा पैन्शन उपलब्ध करवाई जाए ।

(श्री एच0आर0 रतन, कांगड़ा)

मद पर चर्चा के दौरान निदेशक अनुसूचितजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले ने सूचित किया कि वर्तमान में प्रचलित हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 अनुसार वृद्धावस्था/राष्ट्रीय

वृद्धावस्था पैंशन/ विधवा पैशन/परित्यक्ता पैंशन/ राष्ट्रीय विधवा पैंशन / राष्ट्रीय अपंगता पैंशन /अपंग राहत भत्ता/ कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता 600/–रू0 प्रति माह तथा 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों एवं 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों, जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी /निगमों /बोर्डो इत्यादि मे कार्यरत न हो को बिना आय सीमा की शर्त के 1100/– रू0 प्रतिमाह की दर से पैंशन प्रदान की जा रही है। चर्चा में भाग लेते हुए श्री एच0आर0 रतन ने चाहा कि पैन्शन की दरों में वृद्धि की जानी आवश्यक है । चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया कि सरकार द्वारा समय–समय पर सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दरों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ौतरी की है तथा पैन्शन दरों में पुनः वद्धि करने बारे गौर किया जाएगा। **जिस के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(निदेशालय अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले)

मद संख्या :–19 विकलांग व्यक्तियों को सरकारी विभागों में विकलांगों के लिए आरक्षित पदों के बारे में पत्राचार के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए ।

(श्री कुलदीप राणा, बैजनाथ)

विभागीय उत्तरः–

मद पर चर्चा के दौरान निदेशक अनुसूचितजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले ने सूचित किया कि सरकार द्वारा व्यक्ति जिन में अक्षमताएं हैं (समान अवसर, अधिकारों का सरंक्षण एंव पूर्ण भागीदारी अधिनियम) के प्रावधानों अनुसार विकलांगजनों को श्रेणी 1–4 के पदों हेतु सरकारी सेवाओं मे 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर रखा है तथा जब भी विकलागों की श्रेणी हेतु आरक्षित पद भरे जाते है तो इन पदों को सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रचलित समाचार पत्रों व संचार माध्यम से विज्ञापित किया जाता है तथा विकलांगों हेतु गठित विशेष रोजगार कक्ष द्वारा भी विभाग को विज्ञापित पदों के विरूद्ध नाम भेजे जाते है। बैठक में उपस्थित अधिकतर गैर सरकारी सदस्यों का मत था कि विकलांगों हेतु जब भी पदों को भरा जाता है उस की जानकारी न होने के कारण कई पात्र व्यक्ति आवेदन नही कर पाते। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विकलांगों हेतु भरे जा रहे पदों का समाचार पत्रों व रेडियों के माध्यम से व्यापक प्रचार करने बारे समस्त विभागों को पुनः निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई।**

(निदेशालय अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले)

मद संख्या :–20 हाल में ही सरकार द्वारा नए तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय खोले है इन नए कार्यालयों में स्टाफ नियुक्त किया जाए ।

(श्री एच0आर0 रतन, कांगडा)

मद पर चर्चा के दौरान निदेशक अनुसूचितजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले ने सूचित किया कि सरकार द्वारा तहसील कल्याण अधिकारियों के जो दस नए कार्यालय स्वीकृत किए है उन कार्यालयों के संचालन हेतु एक–एक तहसील कल्याण अधिकारी, कनिष्ठ कार्यालय सहायक व स्वीपर के पद दिनांक 14 अगस्त, 2015 को सृजित किए जा चुके है तथा इन पदों को भरने हेतु प्रक्रिया जारी है । **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

(निदेशालय अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले)

मद संख्या :–21 हिमाचल प्रदेश में विकलांगजन अधिनियम 1995 को लागू किया जाए ।

(श्री एच0आर0 रतन, कांगड़ा)

विभागीय उत्तरः–

मद पर चर्चा के दौरान निदेशक अनुसूचितजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले ने सूचित किया कि सरकार द्वारा **व्यक्ति जिन में अक्षमताएं हैं (समान अवसर, अधिकारों का सरंक्षण एंव पूर्ण भागीदारी अधिनियम),** 1995 के प्रावधानों को प्रदेश में 1 जनवरी, 1996 से लागू किया जा रहा है । अधिनियम के प्रावधानों को उचित रूप में लागू करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश को राज्य आयुक्त (विकलांगता) घोषित किया गया है जिन्हे अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक शक्तियां प्राप्त है । इस के अतिरिक्त विकलांगों की समस्याओं का निम्न स्तर पर समाधान हो इस उददेश्य से निदेशक (अनु0जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले) को संयुक्त आयुक्त विकलांगता, जिला स्तर पर समस्त जिलाधीशों को जिला आयुक्त (विकलांगता) व समस्त जिला कल्याण अधिकारियों को जिला अधिकारी (विकलांगता) नियुक्त किया गया है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।**

(निदेशालय अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक मामले)

अन्त में निदेशक अनुसूचितजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले ने माननीय मुख्यंमंत्री, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री तथा समस्त गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद दिया तथा गैर सरकारी सदस्यों को आश्वासन दिया कि उन्होनें जो नई मद भेजी है उन्हें सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा।

****

पताका–क

हिमाचल प्रदेश कल्याण बोर्ड की चौथी बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थिति सूचनाः–	
क्0 संख्या	नाम व पता
1	श्री भीम सिंह, धर्मशाला
2	श्री राहुल लखनपाल, जोगिन्द्रनगर
3	श्री शंकर सिहं चन्देल, धुमारवीं
4	श्री एच0 आर0 रतन, पालमपुर
5	श्री तकदीर सिंह, धर्मशाला
6	श्री मुंगी लाल, रोहडू
7	श्री ख्याली राम, च्चयोट
8	श्री राजकुमार, ज्वालामुखी
9	श्री धर्मसिंह नेगी, सांगला
10	श्री स्वरूप चन्द, भोरंज
11	श्री रमेश चन्द, ज्वालामुखी
12	श्री चिंत राम शर्मा, कसौली
13	श्री सुरेश कुमार बंगाणा
14	श्री शुकरदी्न, चम्बा
15	श्री जसवंत सिंह, संगडाह
16	श्री सुरेन्द्र पाल, ऊना
17	श्री कुलदीप चन्द, बडोह
18	श्री प्रकाश चन्द, कसौली
19	श्री अमित कुमार, सदर बिलासपुर
20	श्री बीर सिंह, सराहन
21	श्री भगतराम मंगलेट, चौपाल
22	श्री शेरसिंह, सदर मण्डी
23	श्री मुहम्मद इकबाल, पावटा साहिब
24	श्री संजीव शर्मा, नदौन
25	श्री कुलदीप राणा, बिरडी कांगडा
26	श्री याद राम, बाली चौकी
27	श्री लेट राम, सदर मण्डी
28	श्री निर्मल शर्मा, जुनगा

पताका–ख

हिमाचल प्रदेश कल्याण बोर्ड की चोथी बैठक में भाग लेने वाले सरकारी सदस्यों की उपस्थिति सूचना :–	
क्र0 संख्या	नाम व पद
1	श्री पी0 मित्रा, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार
2	श्री विनीत चौधरी,अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण), हि0प्र0
3	श्री तरूण श्रीधर,अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हि0प्र0
4	अजय मित्तल,अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) हि0प्र0
5	श्री पी0सी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हि0प्र0
6	श्री संजय गुप्ता अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्याय एंव अधिकारिता) हि0प्र0
7	डा0 श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हि0प्र0
8	श्रीमती मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव,(शहरी विकास) हि0प्र0
9	श्री ओंकार शर्मा, सचिव (ग्रामीण विकास) हि0प्र0
10	श्री संदीप भटनागर, निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्प मामले
11	श्री बी0सी0 बडालियां,उपायुक्त सिरमौर
12	श्री एम0सुधा देवी,उपायुक्त चम्बा
13	श्री संदीप कदम,उपायुक्त मण्डी
14	डा0 चांद शर्मा, अति0 जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर
15	श्री रूपाली ठाकुर,अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर
16	श्री राजेश कुमार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, ऊना
17	श्री संदीप नेगी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सोलन
18	श्री पंकज शर्मा,सहायक आयुक्त उपायुक्त, किन्नौर
19	श्री पी0सी0नेगी,प्रबन्ध निदेशक, विद्युत परिषद लि0
20	श्री विजय डोगरा,मुख्य अभियन्ता ,एच0पी0एस0ई0बी0लि0
21	डा0 शेखर मस्सी,निदेशक,पशुपालन
22	श्री दीनकर बुराथोकी, निदेशक उच्च शिक्षा
23	श्री रमेश चन्द, सयुक्त निदेशक, कृषि
24	ड़ा0 डी0 एस0 गुरंग,निदेशक, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण
25	ड़ा0 सुनील चौधरी,निदेशक भाषा एंव संस्कृति
26	श्री अशोक तिवारी, प्रशासनिक निदेशक, हि0प्र0 पथ परिवहन निगम
27	श्री आशीष कोहली,अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
28	श्रीमती शशि ठाकुर, अति0 निदेशक भू व्यवस्था
29	श्री जितेन्द्र संगटा, अतिरिक्त निदेशक उद्योग
30	श्री आर0के0 वर्मा, प्रमुख अभियन्ता, सिचांई एव जनस्वास्थ

31	श्री आर0 के0 जरयान, मुख्य अभियन्ता,सिचांई एव जनस्वास्थ
32	श्री चतरसिंह, अधीक्षण अभियन्ता, सिचांई एव जन स्वास्थ्य
33	डा0 पंकज ललित,पंजीयक, हिमाचल विश्वविद्यालय,
34	श्री एस0पी0 मेहता,उप निदेशक,मत्सय पालन
35	श्री के0आर0 संजल,उप सचिव,लोक निर्माण विभाग, हि0प्र0
36	श्री रमेश गंगोत्रा ,उपनिदेशक,खाद्य एव आपूर्ति एंव उपभोगता मामले
37	श्रीमती सुमन रावत, सयुक्त निदेशक ,युवा सेवा एवं खेल विभाग
38	श्री महेश पठानियां,प्रेस सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
39	श्री सतपाल धीमान,उपसचिव, (खाद्य आपूर्ति)
40	डा0 ओकार सिंह ठाकुर,जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास
41	श्री ए0के0 आहूजा, संयुक्त निदेशक,तकनीकी शिक्षा
42	श्री डी0आर0 मैहता, मनेजर, अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम
43	श्री आर0एस0 गुलेरिया,उपनिदेशक,महिला एवं बाल विकास
44	गुरदेव शर्मा , ए0आई0जी0, मुख्यालय
45	श्री कृष्ण शर्मा, उप निदेशक, श्रम एंव रोजगार
46	श्री जी0डी0 कालटा, प्रभारी विशेष रोजगार कक्ष, श्रम एंव रोजगार
47	श्री अजय गुप्ता , अधीक्षण अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग
48	श्री अशोक चौहान, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
49	ई0 राकेश गुप्ता , प्रमुख अभियन्ता ,लोक निर्माण विभाग
50	श्री भानू प्रताप सिंह ,मुख्यकार्यकारी अधिकारी,हिमउर्जा
51	श्री नरेश शर्मा,अनुसंधान अधिकारी,हिमउर्जा
52	श्री टी0आर0 कश्यप, ए0डी0ओं0 ,हिमउर्जा